सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **87/2017** दायर दिनाँक **12.04.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. यशपालसिंह पुत्र स्वर्गीय हरिसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सम्पतसिंह पुत्र स्वर्गीय मगनसिंह, 2. भँवरकँवर पत्नी स्वर्गीय मगनसिंह, 3. उच्छबकँवर पत्नी स्वर्गीय बचनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री भँवरसिंह जोधा, वकील, वादी।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **24.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद मौजा सेवा पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 32 रकबा 05.18 बीघा व खसरा नम्बर 127 रकबा 18.18 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 04.12 बीघा व खसरा नम्बर 469/161 रकबा 03.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि अवस्थित है।

मुतनाजा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम ईश्वरसिंह पुत्र हरिसिंह सहवन से दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा–आधार–कार्ड, परिवार राशन–कार्ड, विद्युत व जल कनैक्शन बिल, भूतपूर्व सैनिक पहचान–पत्र इत्यादि में यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह ही दर्ज है। वादी के हक की भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" दर्ज होने से तथा वादी के अन्य दस्तावेजात् में 'यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दर्ज होने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे दुरस्त करवाने बाबत् दावा पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पूर्वज स्वर्गीय मगनसिंह की खरीदसुदा भूमि है तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग वादी व प्रतिवादी संख्या 03 के पूर्वज स्वर्गीय हरिसिंह की खरीदसुदा भूमि है। उक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादी सींवें कायम कर अपने–अपने हिस्से पर काबिजकाश्त हैं जिसे वाद संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाया गया है।

अनुतोष वादी है कि,

सरहद मौजा सेवा पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 32 रकबा 05.18 बीघा व खसरा नम्बर 127 रकबा 18.18 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 04.12 बीघा व खसरा नम्बर 469/161 रकबा 03.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" के स्थान पर "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दुरस्त किया जावे।

सरहद मौजा सेवा पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 सम्पतसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 भँवरकँवर को तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का वादी यशपालसिंह को नजरीनक्शा में दर्शित अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया जिसमें जाहिर किया कि, सरहद सेवा में खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 सम्पतसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 भँवरकँवर को तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का वादी यशपालसिंह को नजरीनक्शा में दर्शित अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "क", जमाबन्दी ग्राम सेवा सम्वत् 2069–2072 खेवट संख्या 19/16 खसरा नम्बर 369/18 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम सेवा सम्वत् 2069–2072 खेवट संख्या 17/14 खसरा नम्बर 32, 127, 265 व 469/161 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल नक्शा किस्तवार मौजा सेवा खसरा नम्बर 369/18 की सत्यप्रतिलिपि, राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा जारी पासबुक की छायाप्रति, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डीडवाना द्वारा जारी बिल खाता संख्या 1803/0127 नाम उपभोक्ता– यशपालसिंह पुत्र हरीसिंह की छायाप्रति, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान डीडवाना द्वारा जारी पानी बिल सेवा क्रमांक 2972 नाम उपभोक्ता यशपालसिंह पुत्र हरीसिंह की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक MTW / 3523354 निर्वाचक का नाम यशपालसिंह पुत्र हरीसिंह की छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड संख्या 654 / 25 मुखिया का नाम यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह निवासी परमानन्द कॉलोनी की छायाप्रति, भूतपूर्व सेनिकों का पहचान–पत्र संख्या RAJ11–15061 नाम यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह की छायाप्रति, कार्ड व्यक्तिक नम्बर JC238644N की छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 978043501929 नाम यशपालसिंह पुत्र हरीसिंह की छायाप्रति, आयकर विभाग भारत–सरकार द्वारा जारी पेन ABRPY5341A नाम यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह की छायाप्रति, यूनियन ऑफ इण्डिया इश्यूइन्ग ऑथोरिटि डीडवाना द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स संख्या RJ37 19830002977 नाम यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह की छायाप्रति, पेश किये हैं।

विद्वान वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, सरहद सेवा में खसरा नम्बर 369 / 18 रकबा 45.00 बीघा खरीदसुदा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादी संख्या 01 सम्पतसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 भँवरकँवर को तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का वादी यशपालसिंह को नजरीनक्शा में दर्शित अनुसार खातेदार घोषित किया जाना अज अदालत को जायज प्रतीत होता है।

सरहद मौजा सेवा पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 32 रकबा 05.18 बीघा व खसरा नम्बर 127 रकबा 18.18 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 04.12 बीघा व खसरा नम्बर 469 / 161 रकबा 03.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 369 / 18 रकबा 45.00 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" दर्ज है तथा वादी के अन्य वाद वर्णित दस्तावेजात् में "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दर्ज है जबकि दौनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं इस भिन्नता से वादी को परेशानियाँ होती है जिस कारण वादी अपना नाम वादवर्णित खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" के स्थान पर "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दुरस्त करवाना चाहता है जिसमें किसी के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं होने से वादी का नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" के स्थान पर "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दुरस्त किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 87 / 2017
दायर दिनाँक 12.04.2017, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
यशपालसिंह बनाम् सम्पतसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा सेवा में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा अनुसूची "क", में दर्शित भूमि मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 369 / 18 रकबा 45.00 बीघा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का वादी यशपालसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 32 रकबा 05.18 बीघा व खसरा नम्बर 127 रकबा 18.18 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 04.12 बीघा व खसरा नम्बर 469 / 161 रकबा 03.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 369 / 18 रकबा 45.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" के स्थान पर "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दुरस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "क", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **24.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **87/2017** दायर दिनाँक **12.04.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. यशपालसिंह पुत्र स्वर्गीय हरिसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सम्पतसिंह पुत्र स्वर्गीय मगनसिंह, 2. भँवरकँवर पत्नी स्वर्गीय मगनसिंह, 3. उच्छबकँवर पत्नी स्वर्गीय बचनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–सेवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. Act.

दिनाँक **24.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भँवरसिंह जोधा, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा सेवा में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा अनुसूची "क", में दर्शित भूमि मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि में से रकबा 15.00 बीघा भूमि उत्तरी भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को तथा शेष रकबा 30.00 बीघा भूमि दक्षिणी भाग का वादी यशपालसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 32 रकबा 05.18 बीघा व खसरा नम्बर 127 रकबा 18.18 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 04.12 बीघा व खसरा नम्बर 469/161 रकबा 03.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 369/18 रकबा 45.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम "ईशरसिंह पुत्र हरिसिंह" के स्थान पर "यशपालसिंह पुत्र हरिसिंह" दुरस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "क", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत................
....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner